महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन –456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 22-1/2018(शै.)/मसारावेविप्र/ दिनांक 27-09-2018

गुरु-शिष्य परम्परा योजना ईकाइयों में

शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा वेद –गुरु के लिए किए गए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की अधिसूचना

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की शासी परिषद द्वारा म.सा.रा.वे.वि.प्र. सचिव को सौंपी गई शक्ति के अनुसरण में वेदों की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना के अन्तर्गत महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान में रिक्त स्थानों में वेद-गुरु के नियोजन के लिए गुरु-शिष्य परम्परा ईकाइयों में वेद गुरुओं के रूप में अस्थायी अध्यापन व्यवस्था हेतु दिनांक 13 एवं 14 अगस्त, 2018 को म.सा.रा.वे.वि.प्र. में आयोजित सम्परीक्षण में **शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा** के 01 स्थान हेतु चयनित वेदाध्यापक की सूची इस प्रकार है।

शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा [चयनित सूची]

क्र.सं.	नाम	वेद एवं शाखा	स्थान एवं दूरभाष नं.	रिमार्क
01	सुवेदी खगेन्द्रा चार्युलु	शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा	चैन्नई, तमिलनाडु मो.नं. - 9000033034	श्री खगेन्द्रा चार्युलु को अपने अधीन छात्रों के साथ ही ओडिशा में गुरु-शिष्य परम्परा ईकाई अध्यापक श्री निराकार द्विवेदी के 07 छात्रों को अध्यापन कराना अनिवार्य रहेगा ।

चयनित वेद गुरु यह चयन वेदों की अध्यापन व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और यह न किसी पद आधारित नियुक्ति का आश्वासन, न तो पद है और न ही पद आधारित नियुक्ति है । यदि श्री सुवेदी खगेन्द्रा चार्युलु प्रतिष्ठान नियमावली अनुसार ईकाई संचालित करने हेतु सहमत हैं तो प्रतिष्ठान को दिनांक 30.09.2018 तक लिखित में सूचित करें ।

सचिव 27/9/18

म.सां.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन

दूरभाष (0734) 2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734–2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

गुरु-शिष्य परम्परा ईकाई अध्यापक हेतु दिशा – निर्देश

वेद गुरु के रूप में अध्यापन व्यवस्था के लिए मानदेय

म.सां.रा.वे.वि.प्र. द्वारा प्रति माह 10,000 /- रुपये (वृद्धि की सम्भावना है) मानदेय का भुगतान किया जाएगा। चयनित वेद गुरु को अपनी बैंक पासबुक की छायाप्रति लाना अनिवार्य है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा गुरु-शिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होने पर किसी अन्य शासकीय/सरकारी स्त्रोत से इसी उद्देश्य के लिए आप अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे।

गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के अन्तर्गत वेद-गुरु के रूप में कर्तव्य

- चयनित गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की गुरु-शिष्य परम्परा योजना नियमावली के अन्तर्गत इकाई का संचालन करना होगा।
- गुरु-शिष्य परम्परा इकाई के अन्तर्गत अध्यापन में निरत प्रत्येक वेद-गुरु को वेद की मैखिक परम्परा में वेद-भूषण (5 वर्ष) और वेद विभूषण (2 वर्ष) नामक कुल सात वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणाली के लिए या तो गुरु के निवास पर या वेद-गुरु द्वारा अपने विवेकाधिकार पर चुने गए किसी अन्य स्थान पर अधिकतम 10 छात्रों को वेद के स्वर अध्यापन (कोई भी वैदिक परम्परा के अनुसार शाखाओं में से एक) पढ़ाना होगा। म.सां.रा.वे.वि.प्र. प्रत्येक कोई किराया / पट्टा राशि का भुगतान नहीं करेगा ।
- सात वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणाली में सस्वर वेद अध्यापन कराना तथा परीक्षा के लिए 10 छात्रों को तैयार करना वेद गुरु की पूर्ण ज़िम्मेदारी रहेगी और छात्रों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक विषयों में भी म.सां.रा.वे.वि.प्र. की परीक्षा के लिए 10 छात्रों को भी तैयार कराना होगा ।
- छात्रों को अपने अधीन अध्यापन हेतु अङ्गीकार के बाद और सात साल तक अध्ययन पूरा किए बिना, सस्वर वेद अध्ययन के मध्य में वेद छात्रों को वेद गुरु नहीं छोड़ सकते । किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र परिवर्तन या स्थानांतरण कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा ।
- वेद गुरु को अपने छात्रों द्वारा वेदों की मौखिक परंपरा को सीखने की समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रतिष्ठान द्वारा सूचित किए जाने पर सम्मेलन एवं संगोष्ठी में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

गुरु- शिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत म.सां.रा.वे.वि.प्र. की जिम्मेदारी

(1) म.सां.रा.वे.वि.प्र. 84 महीने के लिए वेद गुरु को प्रत्येक वेद छात्र के रखरखाव (भोजन, आवास, कपड़े इत्यादि) व्यय केलिए प्रति माह-गणना के अनुसार प्रति छात्र रु 1500 /- (वृद्धि की सम्भावना है) नियमित- उपस्थिति और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कुछ शर्तों के अधीन - वैदिक अध्ययन आदि में संतोषजनक प्रगति के आधार पर प्रतिपूर्ति / भुगतान करेगा ।

(2) उपर्युक्त भुगतान वेद गुरु के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से किया जाएगा और उसे गुरु के लिए वैदिक परंपरा के नियम के अनुसार भोजन, आवास, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।

(3) म.सां.रा.वे.वि.प्र. प्रत्येक महीने में, प्रत्येक वेद छात्र के स्व-व्यय हेतु प्रति माह-गणना के अनुसार रु 500/- (वृद्धि की सम्भावना है) - नियमित- उपस्थिति और परीक्षा में उत्तीर्ण होने और संतोषजनक प्रगति इत्यादि कुछ शर्तों के अधीन, छात्र-अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में PFMS के माध्यम से ही भुगतान करेगा।

(4) म.सां.रा.वे.वि.प्र. वेद की मौखिक परंपरा में वेद के सस्वर सीखने के साथ (वेदिक परंपरा के अनुसार शाखाओं में से कोई भी) वेद-भूषण (5 वर्ष) और वेद विभूषण (2 वर्ष) नामक सात साल के पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित करेगा ।

(5) म.सां.रा.वे.वि.प्र. की प्रक्रिया के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वेद गुरु / छात्र की जांच, पूछताछ, गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों से निष्कासित या प्रतिस्थापन करने की सभी शक्तियां प्रतिष्ठान के पास होंगी।

(6) गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के सन्दर्भ में गुरु ही इनके संचालन के लिये पूर्ण जिम्मेदार हैं। इसमें प्रतिष्ठान का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। प्रतिष्ठान का वेद अध्ययन के लिये सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त इन गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों से दिन-प्रतिदिन संचालन में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। यदि इकाइयों में कोई अवैधानिक गतिविधियां होती है अथवा कोई अनुचित या अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिये सीधी जिम्मेदारी इकाइयों के गुरु की है। इस सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना/शिकायत प्रतिष्ठान को प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(7) इकाइयों के वेदाध्यापक बाल संरक्षण अधिनियम का अध्ययन कर छात्रों के रख-रखाव/पालन-पोषण में बाल संरक्षण अधिनियम के नियमों का पालन करेंगे।

(8) छात्रों को दिए जाने वाले भोजन में पोष्टिकता का ध्यान पूर्णरूप से रखा जाना चाहिए।

सचिव

म.सां.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन